न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 38/2018

वादीगणः—
श्री नारायणलाल पुत्र श्री थानाराम जाति मारू कुम्हार निवासी जगतनाड़ी, भांगेसर रोड़, पाली तहसील पाली जिला पाली (राज0)

बनाम प्रतिवादीगणः—
भूमिधारी तहसीलदार, पाली

उपस्थितिः—

1. श्री महावीरसिंह कुम्पावत, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (प्रतिवादी एवं सरकारी पैरोकार)

<u>वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955</u>

—ःआदेशः— दिनांक-09-07-2019

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पाली द्वितीय पटवारी हल्का पाली द्वितीय में वादी की खातेदारी अधिपत्य की कृषि भूमि जिला पाली में वादी की खातेदारी अधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है जिसके खसरा नंबर 328 रकबा 95.18 बीघा (15.5237 हैक्टेयर) लगान 47.95 रूपये है जिसमें वादी की खातेदारी में वादी का नाम नाहरमल वल्द थानाराम हिस्सा 1/6 दर्ज है जबकि वादी का नाम नारायणलाल पुत्र थानाराम समस्त दस्तावेज में है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाहरमल नाम विवादग्रस्त होने से आगे वाद पत्र में विवादग्रस्त नाम से संबोधित किया जायेगा। वादी के नाम दर्ज खातेदारी आराजी कृषि भूमि में दर्ज नाहरमल नाम को वादी के मूल नाम नारायणलाल होने से समस्त रेकर्ड आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक खाते इत्यादि में शुरू से नारायणलाल नाम दर्ज होकर चला आने से वर्तमान में कृषि ऋण अनुदान फसली ऋण , के.सी.सी. इत्याद सरकारी योजनाओं का लाभ वादी को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में शुद्धीकरण/दुरूस्ती के जरिये परिवर्तन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। जिसके कारण से घोषणा का उक्त वाद पेश किया जा रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दुरस्त/शुद्धीकरण बाबत राजस्व अधिकारीयों तहसीलदार पाली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे परन्तु राजस्व विभाग, भू—धारक तहसीलदार पाली द्वारा वादी के नाम का शुद्धीकरण दुरस्ती नहीं की है तथा प्रतिवादी तहसीलदार पाली द्वारा वादी को सक्षम न्यायालय से जरिये घोषणा से दुरस्त योग्य बताया है जिससे उक्त वाद घोषणा का वादी द्वारा प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 23—08—2018 को प्रतिवादी भुधारक तहसीलदार पाली द्वारा अंतिम बार वादी के शुद्धिकरण, नाम परिवर्तन के उक्त मामले को अपने पत्र कमांक/भु.अ./018/7992 दिनांक 23—08—2018 के जरिये सक्षम न्यायालय में जरिये घोषणा वाद से दुरस्त योग्य मामला बताते हुये वादी को वाद प्रस्तुत किये जाने का प्रतिवादी द्वारा निर्देश प्रदान किया गया जिससे उक्त वाद घोषणा, नाम परिवर्तन, शुद्धीकरण, राजस्व रेकर्ड का अंदर म्याद प्रस्तुत है। सरहद मौजा पाली द्वितीय में वादी की खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है जिसके खसरा संख्या 328 रकबा 95.18 बीघा (15.5237 हैक्टेयर) लगान 47.95 रूपये है जिसमें वादी की खातेदारी में वादी का नाम नाहरमल वल्द थानाराम हिस्सा 1/6 दर्ज है जिसको परिवर्तन (शुद्धिकरण) करते हुये वादी का नाम नारायणलाल पुत्र थानाराम दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जावे तथा तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावें।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

3. प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पाली चक II के जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता नंबर 536 में खसरा नंबर 328 रकबा 95.18 बीघा भूमि के 1/6 हिस्सा भूमि के सहकृषक नाहरमल पुत्र थानाराम कौम मारू कुम्हार निवासी पाली राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में खातेदार अंकित है। शेष कथन वादी स्वयं सिद्ध करें। वादी नारायणलाल पुत्र थानाराम मारू कुम्हार के पहचान के दस्तावेज, आधारकार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी, राशनकार्ड के दस्तावेज नारायणलाल पुत्र थानाराम के नाम से बने हुये है। जिसकी फोटो प्रतियां प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 23–08–18 के साथ लगी हुई है। इस प्रार्थना पत्र में वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज सहकृषक प्रविष्टि नाहरमल पुत्र थानाराम कौम मारू कुम्हार निवासी पाली हि0 1/6 के बजाय नारायणलाल पुत्र थानाराम कौम मारू कुम्हार नि0 पाली हि0 1/6 दर्ज करने हेतु अनुरोध किया था। उक्त प्रार्थना पत्र इस कार्यालय द्वारा फाईल कर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रेकर्ड में नाहरमल के बजाय नारायणलाल की घोषणा हेतु सूचित किया था। राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाहरमल पुत्र थानाराम को नारायणलाल पुत्र थानाराम दर्ज किया जाने की अनुशंषा की जाती है।

4. वादी में वाद पत्र एवं जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का नाम नाहरमल वल्द थानाराम गलत दर्ज है तथा वादी का सही नाम नारायणलाल पुत्र थानाराम है– (वादी)

2. आया वादी को धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत घोषणा करवा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाहरमल वल्द थानाराम के स्थान पर नारायणलाल पुत्र थानाराम दर्ज करवाने का अधिकार है– (वादी)

3. अनुतोष।

5. वादी ने अपने वाद को साबित करने हेतु स्वयं के बयानों का शपथ–पत्र मुख्य परिक्षण में प्रस्तुत किया तथा न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ–पत्र बयान की पुष्टि की एवं दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया।

6. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

7. विद्वान अभिभाषक वादी अपनी बहस में वाद में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं वाद को स्वीकार राजस्व रेकर्ड में वादी का दर्ज गलत नाम नाहरमल वल्द थानाराम 1/6 हिस्सा के स्थान पर नारायणलाल वल्द थानाराम 1/6 की घोषणा कर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया।

8. सरकार पैरोकार ने इसमें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

9. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 536 में खसरा नंबर 328 रकबा 95.18 बीघा (15.5237 है0) किस्म बारानी अव्वल भूमि के खातेदार हिरालाल, बाबुलाल, लक्ष्मण, आसुलाल, गणेशराम पि0 बस्ता कौम घांची हि0 1/3 ब.हि.ब., नाहरमल वल्द थानाराम हि0 1/6, लीलादेवी बेवा मांगीलाल, पिस्ता, कंचन पुत्री मांगीलाल नाबालिग की कुदरती वली माता लीलादेवी बेवा मांगीलाल हि0 1/6 कौम मारू कुमार, ओगड़राम वल्द भेराराम घंची हि0 1/3 सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2 नारायणलाल पुत्र थानाराम का आधार कार्ड संख्या 239826031138 है, प्रदर्श–3 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नारायणलाल पुत्र थानाराम को जारी पहचान पत्र है, प्रदर्श–4 नारायण लाल पुत्र थानाराम के नाम के गैस कनेक्शन की प्रति है, प्रदर्श–5 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के बचत खाता संख्या 61038072081 जो नारायणलाल के नाम से है की नोटेरी प्रमाणित प्रति है तथा प्रदर्श–6 तहसीलदार (भू0अ0) पाली के पत्र कमांक/भू0अ0/018/7992 दिनांक 23–08–13 है जिसमें नारायणलाल पुत्र थानाराम जाति मारू कुम्हार नि0 भांगेसर को सक्षम न्यायालय में घोषणा वाद करने का सुझाव दिया गया है। समस्त दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात् तनकियात अनुसार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 1– आया वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का नाम नाहरमल वल्द थानाराम गलत दर्ज है तथा वादी का सही नाम नारायणलाल पुत्र थानाराम है– (वादी)

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात 2 से 6 का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह साबित होता हो कि नारायणलाल और नाहरमल एक ही आदमी के दो नाम है। वादी ने वह दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें वादी का नाम नारायणलाल है तथा उस दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नाहरमल नाम गलत दर्ज हुआ है। किसी भी खातेदार का राजस्व रेकर्ड में नाम या तो फौतदगी म्यूटेशन के आधार पर दर्ज होता है या विक्रय दस्तावेज के आधार पर नाम दर्ज होता है। वादी द्वारा वाद में सह–खातेदारान को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है तथा न ही किसी स्वतंत्र गवाह के बयान को कलमवद्ध करवा कर यह सावित करवा पाने में असफल रहा है कि नाहरमल नाम का कोई व्यक्ति उक्त वादग्रस्त भूमि से संबन्धित कभी भी नहीं रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रेकर्ड इंद्राज के पश्चात् तैयार किये हुए दस्तावेज है जिसके आधार पर वादी को कोई सहायत नहीं मिल सकती।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 2– आया वादी को धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत घोषणा करवा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाहरमल वल्द थानाराम के स्थान पर नारायणलाल पुत्र थानाराम दर्ज करवाने का अधिकार है– (वादी)

तनकी संख्या 1 में किये गये विवेचन के आधार पर वादी को धारा 88 आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत घोषणा करवा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम नाहरमल वल्द थानाराम के स्थान पर नारायणलाल पुत्र थानाराम दर्ज करवाने का अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

अतः तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 3– अनुतोष

तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का जिम्मा वादी का था जिसे वादी साबित कर पाने में पूर्ण रूप से असफल रहने से वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्त सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 38 सन् 2018

वादीगणः–
श्री नारायणलाल पुत्र श्री थानाराम जाति मारू कुम्हार निवासी जगतनाड़ी, भांगेसर रोड़, पाली तहसील पाली जिला पाली (राज0)

बनाम प्रतिवादीगणः–
भूमिधारी तहसीलदार, पाली

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री महावीर सिंह, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व केशरसिंह, तहसीलदार, पाली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 07 सन् 2019 को जारी की गई।

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner